

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर

दिनांक :- 9-07-2019

क्रमांक:- एफ (4)(ई)(1)(6) क0ले0प्रशि0/अलेसे-III/2017 3659

अतिरिक्त निदेशक एवं परीक्षा समन्वयक,
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा),
जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर-302017

विषय:- दिनांक 17.06.2019 से 09.08.2019 की अवधि में आयोजित संस्थानिक प्रशिक्षण की विभागीय परीक्षा में पूर्व में अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित रहे क. लेखाकारों को अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित प्रश्न पत्र की परीक्षा में पुनः शामिल करने बाबत।

प्रसंग:- आपका पत्र क्रमांक प.11(17)रीपा/परीक्षा/संस्थानिक/कले/2018 2140-48 दिनांक 23.04.2019 एवं पत्र क्रमांक प. 11(02)रीपा/परीक्षा/संस्थानिक/कले/2019 9331-9339 दिनांक 02.07.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुसार निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों को दिनांक 13.08.2018 से 05.10.2018 एवं दिनांक 17.12.2018 से 08.02.2019 तक की अवधि में आयोजित क. लेखाकार संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विभागीय परीक्षा के जारी परिणामों में उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित घोषित किया गया है, जिन्हें एक ओर अवसर प्रदान करते हुए अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित प्रश्न पत्र की परीक्षा में पुनः सम्मिलित किया जाना है। अतः उनको माह अगस्त 2019 में आयोजित होने वाली विभागीय परीक्षा में सम्मिलित करने की व्यवस्था करावे :-

क. सं.	क0ले0का नाम	लिक नं.	पदस्थापन कार्यालय	ह.च.मा. (रीपा) का स्थान	अनुत्तीर्ण प्रश्न पत्र का नाम एवं संख्या
1	कौशल्या मीणा	12616	सचिव, राजकीय उपक्रम विभाग, जयपुर	जयपुर	राजस्थान सेवा नियम तथा वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील नियम (प्रथम)
2	नरेश कुमार बैरवा	10361	कोषाधिकारी, (ई-कोषालय), कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर	जयपुर	राजस्थान सेवा नियम तथा वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील नियम (प्रथम)
3	नरेश वर्मा	12540	निदेशक राज्य पुलिस अकादमी, गृह विभाग, जयपुर	जयपुर	राजस्थान सेवा नियम तथा वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील नियम (प्रथम)
4	बाबू लाल	11588	सचिव, नगर विकास न्यास (एक्स काडर पद), बाड़मेर	जोधपुर	राजस्थान सेवा नियम तथा वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील नियम (प्रथम)
5	विवेक गौड़	10651	संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि अंश विभाग, अजमेर	उदयपुर	राजस्थान सेवा नियम तथा वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील नियम (प्रथम)
6	नरेन्द्र कुमार चौहान	11073	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बिसाऊ, झुझुनु	बीकानेर	राजस्थान सेवा नियम तथा वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील नियम (प्रथम)
7	अर्चना पुरोहित	11179	आयुक्त, शिक्षा (प्रारम्भिक) बीकानेर 1558।	बीकानेर	अनुपस्थित (तृतीय प्रश्न पत्र)
8	नरेन्द्र सिंह	10684	बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं, मसूदा, अजमेर	उदयपुर	राजस्थान सेवा नियम तथा वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील नियम (प्रथम)
9	नितिन उपाध्याय	10604	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, ब्यावर, अजमेर	उदयपुर	राजस्थान सेवा नियम तथा वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील नियम (प्रथम)
10	मानसिंह मीणा	9863	अधीक्षक अभियंता, वृत्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग, करौली	कोटा	राजस्थान सेवा नियम तथा वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील नियम (प्रथम)

भवदीय,

संलग्न :- आवेदन पत्र

(मुकुन्द सोहानी)
निदेशक

दिनांक :- 9-07-2019

क्रमांक:- एफ (4)(ई)(1)(6) क0ले0प्रशि0/अलेसे-III/2017 3659

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- संयुक्त निदेशक (प्रशासन) एवं प्रभारी अधिकारी (परीक्षा), हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302017 को प्रेषित कर लेख है कि कनिष्ठ लेखाकार 2013 बैच के परिवीक्षा काल पूर्ण होने के उपरान्त स्थायीकरण हेतु संस्थानिक प्रशिक्षण प्राप्त करना (विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण) आवश्यक है, अतः जिन कार्मिकों का संस्थानिक प्रशिक्षण उपरान्त परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया गया है, उसके लिए सम्बन्धित को निर्देश प्रदान करने का श्रम करें।
- अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), उदयपुर-313001/कोटा-324001/बीकानेर-334003/जोधपुर-342006
- विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कनिष्ठ लेखाकार को परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित तिथि को आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करावे।
- समस्त कनिष्ठ लेखाकारों को प्रेषित कर लेख है कि वे अनुत्तीर्ण प्रश्न पत्र एवं अप्रैल 2019 में आयोजित परीक्षा में अनुपस्थित प्रश्न पत्र परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए वर्तमान पदस्थापन कार्यालय के माध्यम से संलग्न आवेदन पत्र भरकर ह.च.मा. (रीपा), जे.एल. एन.मार्ग, जयपुर में जमा करावे एवं माह अगस्त 2019 में आयोजित होने वाली विभागीय परीक्षा में रोल नं. आवंटन करवाकर उक्त परीक्षा में सम्मिलित होना सुनिश्चित करेंगे।
- उपनिदेशक (एससीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- रक्षित/पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)

सूची 1
विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये आवेदन पत्र

नियम 9(1) देखें

1. आवेदक का नाम (साफ अक्षर में)
2. पिता का नाम
3. जन्म तिथि
4. सेवा का नाम (नियुक्ति आदि परिविक्षाधीन स्थाई/अस्थायी, कृपया इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करें)
5. पद एवं नियुक्ति का स्थान
6. यदि विभागीय परीक्षा में नियमों के अन्तर्गत पहले कभी बैठे हो तो तिथि एवं जिन प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण हो गये हो, उल्लेख करें ।
7. गत परीक्षा की पंजीयन संख्या यदि कोई हो तो
8. सेवा का नाम जिसकी विभागीय परीक्षा में बैठना चाहते हैं।
9. प्रश्न-पत्र जिसमें बैठना चाहते हैं।
(इसका स्पष्ट उल्लेख करें)
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.
 - 7.

दिनांक -

आवेदक के हस्ताक्षर एवं _____
पद _____

पूरा पता _____

हस्ताक्षर प्रमाणित किये जाकर आवेदन पत्र एवं पंजीयक विभागीय परीक्षायें (समस्त राज्य सेवायें) एवं निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर-302017 को प्रेषित है।

आवेदक के उच्च अधिकारी
के हस्ताक्षर एवं पद

नोट- आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश पीछे दिये गये हैं । जिस प्रश्न पत्र में छूट चाहे उसका क0स0 9 में स्पष्ट उल्लेख करें ।

कार्यालय पंजीयक विभागीय परीक्षायें (समस्त राज्य सेवायें) एवं निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर
राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर-302017

क्र० सं०

पंजीयन संख्या

श्री

जो

में है और इस समय के पद पर कार्य कर रहे हैं, को
विभागीय परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाती हैं। जो कि दिनांक से
तक हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में होगी।

उनकी पंजीयन संख्या ऊपर अंकित की गई है। भविष्य में पत्र व्यवहार करते समय इसका उल्लेख करना आवश्यक है।

पंजीयक
विभागीय परीक्षायें (समस्त राज्य सेवायें) एवं
निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य
लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर-302017

आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देश -

1. आवेदन पत्र प्रार्थी को स्वयं अपने हाथ से स्याही से भरना चाहिये।
2. अपना नियुक्ति स्थान पूर्ण एवं स्पष्ट लिखें जिससे रोल न० प्राप्त होने में विलम्ब न हो।
3. उच्च अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रेषित करने से पूर्व उसमें की गयी पूर्तियों की सत्यता की जाँच कर लेनी चाहिये।
4. हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में पूरा नाम लिखना चाहिये।
5. पंजीयक विभागीय परीक्षाएँ से प्राप्त रोल न० स्लिप नोट संभाल कर रखना चाहिये। इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये परीक्षा अधीक्षक के सम्मुख प्रस्तुत करनी होगी।
6. परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र (टंकित, मुद्रित, फोटोस्टेट) तथा उत्तर-पुस्तिकाएँ दी जावेगी। अन्य लेखन सामग्री स्वयं का लानी होगी।
7. जिन प्रश्न पत्रों के नियम, आदेश के उपयोग की छूट है। उसमें केवल वही नियम, आदेश की इजाजत होगी जिनके साथ टिप्पणी नहीं होगी।
8. आवेदन पत्र के क्र०स० 4 के सामने स्पष्ट रूप से यह भी बताना चाहिये कि विभागीय परीक्षा के लिये किस प्रावधान के अनुसार विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र है।
9. जिन प्रश्न पत्रों से छूट चाही है उनके लिये आवश्यक प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ भेजें, जैसे हिन्दी प्रश्न पत्र से छूट चाहने के लिये हाई स्कूल एवं उच्च परीक्षा हिन्दी विषय सहित उत्तीर्ण कर लेने के परीक्षा प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ भेजे।
10. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जा सकेगा।